न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – जयवीर सिंह R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :– 78/2017

दायर तारीख :– 15.09.2017

1. बंशी
2. सुरज्ञानी } पुत्रान कजोड
3. प्यारसी पत्नी कजोड
4. पांची
5. संतरा
6. कमला
7. सरस्वती
8. छोटा
9. मनभा } पुत्रीयान कजोड

} समस्त जाति अहीर निवासी विराटनगर तहसील विराटनगर

— वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जयपुर
2. तहसीलदार, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर

— प्रतिवादीगण

3. नाथी पत्नी लादू
4. कैलाश
5. जगदीश } पुत्रान लादू
6. बिदामी पुत्री लादू
7. सारा देवी पत्नी सोणा

} जाति यादव निवासी विराटनगर जिला जयपुर

— तरतीबी प्रतिवादी

दावा बाबत दुरुस्ती इन्द्राज

उपस्थित :– श्री आनन्दसिंह शेखावत, अधिवक्ता वादीगण
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक 20/2/18

1. वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम विराटनगर के हाल खसरा नम्बर 2007/0.22, 2037/0.13, 2787/0.30 हैक्टेयर वादीगण एवं

उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:39:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

तरतीबी प्रतिवादीगण के बुजुर्गो की खातेदारी भूमि रही है। हाल खसरा नम्बर 2007 का साबिक खसरा नम्बर 2664, खसरा नम्बर 2037 का साबिक खसरा नम्बर 2631 एवं हाल खसरा नम्बर 2787 का साबिक खसरा नम्बर 3118 रहा है। वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के बुजुर्ग कजोड, लादू, सोणा पिता ग्यारसा ने उक्त आराजी खातेदार धींसा पुत्र श्योजी के पुत्र भगवाना पुत्र घासी से जरिए विक्रय पत्र दिनांक 06.12.1965 को खरीद की थी, जिसका नामान्तकरण संख्या 586 नोट जमाबन्दी संवत् 2020–2023 में दर्ज रिकार्ड रहा है। साबिक खसरा नम्बर 2631 रकबा 10 बिसवा, 2664 रकबा 1 बीघा, 3118 रकबा 1 बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 2 बीघा 10 बिसवा के खातेदार कजोड़, लादू, सोण्या (सोणा) पिता ग्यारसा रहे है। उक्त कजोड, लादू, सोन्या तीनो ग्यारसा के बेटे थे और सगे भाई थे तथा जमाबन्दी संवत् 2032–2035 तक राजस्व रिकार्ड में सही इन्द्राज किया हुआ है। हाल सैटिलमेंट कर्मचारियों ने कजोड, लादू, सोन्या पिता ग्यारसा के स्थान पर कजोड व लादू के नाम के मध्य पुत्र शब्द लिख दिया और सोण्या पिता ग्यारसा के स्थान पर सोणा पुत्र ग्यारसा लिख जो आगे चलकर सोणा के स्थान पर सांसा कर दिया गया, जो आज तक राजस्व रिकार्ड में कजोड पुत्र लादू, सोंसा पुत्र ग्यारसा दर्ज रिकार्ड चला रहा है, जो काबिल दुरूस्ती है। खातेदार कजोड, लादू, सोणा (सोन्या) तीनों भाई फौत हो चुके है, जिनकी विरासत का खाता खुलवाते समय उक्त अशुद्धि का पता चला है। प्रस्तुत प्रकरण में हुई अशुद्धि एक लिपिकीय त्रुटि की श्रेणी में आने से सरसरी तौर पर काबिल दुरूस्ती है। अतः निवेदन है कि ग्राम विराटनगर के हाल खसरा नम्बर 2007/022, 2037/0.13, 2787/0.30 हैक्टेयर की खातेदारी कजोड पुत्र लादू, सोंसा पुत्र ग्यारसा के स्थान पर कजोड, लादू, सोणा पिता ग्यारसा के नाम दुरूस्त किया जावे तथा कजोड, लादू, सोंसा के फौत होने से उनके स्थान पर उनके वारिसान वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण को बहिस्सानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

2. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। पैरोकार सरकार उपस्थित।

3. वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी खाता संख्या 59 संवत् 2073–2076, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 58 संवत् 2069–2072, नकल जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग पृष्ठ संख्या 92, नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल जमाबन्दी (खेवट खतौनी) संवत्

उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:39:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

2028–2032, नकल नामान्तकरण संख्या 586, नकल नामान्तकरण संख्या 28, नकल जमाबन्दी (खेवट खतौनी) संवत् 2032–2035, फोटोप्रति विक्रय पत्र दिनांक 06.12.1965, फोटोप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र लादूराम यादव, सुणीलाल यादव, कजोडमल यादव आदि पेश किये गये।

4. अधिवक्ता वादी ने तारीख पेशी दिनांक 20.12.2018 को एक प्रार्थना पत्र बाबत हटाए जाने वाद की अनुतोष खण्ड संख्या 11 (ख) पेश किया, जो स्वीकार किया गया है।

5. बहस अधिवक्ता तथा पैरोकार सरकार सुनी गई।

6. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा मनन किया गया। वाके ग्राम विराटनगर के हाल खसरा नम्बर 2007/0.22, 2037/0.13, 2787/0.30 हैक्टेयर वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के बुजुर्गो की खातेदारी भूमि रही है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल साबिक खसरा नम्बर 2664 से हाल खसरा नम्बर 2007, साबिक खसरा नम्बर 2631 से हाल खसरा नम्बर 2037 एवं साबिक खसरा नम्बर 3118 से हाल खसरा नम्बर 2787 कायम किया गया है। वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के बुजुर्ग कजोड, लादू, सोणा पिता ग्यारसा ने उक्त आराजी भगवाना पुत्र घासी से जरिए विक्रय पत्र दिनांक 06.12.1965 को खरीद की थी तथा उक्त विक्रय पत्र में लादू, कजोड, सौण्या पिसरान ग्यारसा अंकित है, उक्त खरीद का नामान्तकरण संख्या 586 में प्रार्थीगण के बुजुर्गो का नाम कजोड, लादू, सौण्या दर्ज रिकार्ड हुआ है, जिसका नोट जमाबन्दी संवत् 2028 में दर्ज रिकार्ड रहा है। साबिक खसरा नम्बर 2631 रकबा 10 बिसवा, 2664 रकबा 1 बीघा, 3118 रकबा 1 बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 2 बीघा 10 बिसवा के खातेदार कजोड़, लादू, सोण्या (सोणा) पिता ग्यारसा रहे है। उक्त कजोड, लादू, सोन्या तीनो ग्यारसा के बेटे थे और सगे भाई थे तथा जमाबन्दी संवत् 2032–2035 तक राजस्व रिकार्ड में सही लादू, कजोड, सौण्या पिसरान ग्यारसा इन्द्राज किया हुआ है। हाल सैटिलमेंट कर्मचारियों ने कजोड, लादू, सोन्या पिता ग्यारसा के स्थान पर कजोड व लादू के नाम के मध्य पुत्र शब्द लिख दिया और सोण्या पिता ग्यारसा के स्थान पर सोणा पुत्र ग्यारसा लिख जो आगे चलकर सोणा के स्थान पर सोसा कर दिया गया, जो आज तक राजस्व रिकार्ड में कजोड पुत्र लादू, सोंसा पुत्र ग्यारसा दर्ज रिकार्ड चला रहा है, प्रस्तुत प्रकरण में हुई अशुद्धि एक लिपिकीय त्रुटि की श्रेणी में आती है जिसे दुरुस्त किया जाना न्यायसंगत है।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:39:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

आदेश

वादी का वादपत्र डिक्री किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिए जाते हैं कि ग्राम विराटनगर के हाल खसरा नम्बर 2007/0.22, 2037/0.13, 2787/0.30 हैक्टेयर की खातेदारी कजोड पुत्र लादू, सोंसा पुत्र ग्यारसा के स्थान पर कजोड, लादू, सोणा पिता ग्यारसा के नाम दुरूस्त कर दर्ज की जावे। खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 20/2/18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जयवीर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी विराट नगर, जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:39:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)
आज अदालत :— उपखण्ड अधिकारी विराटनगर
बइजलास :— जयवीर सिंह आर.ए.एस.

1. बंशी
2. सुरज्ञानी } पुत्रान कजोड
3. ग्यारसी पत्नी कजोड
4. पांची
5. संतरा
6. कमला
7. सरस्वती
8. छोटा
9. मनभा } पुत्रीयान कजोड

} समस्त जाति अहीर निवासी विराटनगर तहसील विराटनगर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जयपुर

—— वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जयपुर
2. तहसीलदार, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर

—— प्रतिवादीगण

3. नाथी पत्नी लादू
4. कैलाश
5. जगदीश } पुत्रान लादू
6. बिदामी पुत्री लादू
7. सारा देवी पत्नी सोणा

} जाति यादव निवासी विराटनगर जिला जयपुर

—— तरतीबी प्रतिवादी

मुकदमा नम्बर/नजरसानी संख्या 78/2017 दावा बाबत दुरूस्ती इन्द्राज यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतैई रूबरू श्री आनन्दसिंह शेखावत एडवोकेट व हाजरी ....मिन जानिब मुद्दई रूबरू पैरोकार सरकार कार्यवाही मिन जानिब मुदामलह पेश हुए। सुना गया। वादी का वाद दुरूस्ती इन्द्राज का रहा है। प्रकरण में हुई अशुद्धि एक लिपिकीय त्रुटि की श्रेणी में आती है जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायसंगत है। अतः हुक्म दिया जाता है कि वादी का वादपत्र डिक्री किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिए जाते हैं कि ग्राम विराटनगर के हाल खसरा नम्बर 2007/022, 2037/0.1[illegible] 2707/0.30 हैक्टेयर की खातेदारी कजोड पुत्र लादू, सोंसा पुत्र ग्यारसा के स्थान क[illegible] लादू, सोणा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:39:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

Scanned by CamScanner

पिता न्यारसा के नाम दुरूस्त कर दर्ज की जावे। खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 20/8........को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जयवीर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

मुबलिक ....शून्य........................... बाबत ....शून्य...................

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरत ....शून्य................. की सदी सलाना आज की तारीख बसूलयाबी तक ... .शून्य... .... का अदा करें। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख .... को जारी की गई।

मुद्दई	रूपया	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अरजी दावा		स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प अरजी	
स्टाम्प बजह सबूत		महन्ताना वकील	
महन्ताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर		बबत इजराय	
बवत इजराय हुक्मनामा		हुक्मनामा	
		गुतजरिक	
मीजान	शून्य	मीजान	शून्य

नोट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया।

(जयवीर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:39:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner